कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं निरंतरता पालिसी

(दिनांक 01.04.2016 से संशोधित)

एमएमटीसी लिमिटेड - कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं निरंतरता पालिसी

1. संक्षिप्त नाम व प्रयोजनीयता

यह पालिसी एमएमटीसी लिमिटेड- कारपोरेट सामाजिक दायित्व एवं निरंतरता पालिसी 2014 कहलाएगी जो दिनांक 1 अप्रैल, 2014 से लागू होगी।

इस पालिसी का स्व-नियमन तंत्र होगा जो कंपनीज एक्ट, 2013 में निर्धारित कानून का पालन करने के लिए एमएमटीसी का मार्गदर्शन करेगा तथा साथ ही इसकी निगरानी को सुनिश्चित करेगा।

इस पालिसी के अनुसार कारपोरेट सामाजिक दायित्व निरंतरता का अर्थ है तथा इसमें शामिल हैं परंतु यह निम्नलिखित तक सीमित नहीं है :

(i) कंपनीज़ एक्ट की अनुसूची में उल्लिखित कार्यों से संबंधित प्रोजेक्ट्स अथवा कार्यक्रम अथवा
(ii) बोर्ड की सीएसआर कमेटी की सिफारिशों के अनुसार एमएमटीसी के निदेशक मंडल द्वारा किए जाने वाले कार्यों से संबंधित प्रोजेक्टस अथवा कार्यक्रम ।

2. सीएसआर के उद्देश्य

कारपोरेट सामाजिक दायित्व तथा निरंतरता का वह रूप होगा जिसके अनुसार कारोबार करना होगा। इससे कंपनी के स्टेकहोल्डर्स के लिए धन-दौलत का सृजन होगा जो उनके बीच वितरित होगी। यह कार्य नीति-विषयक प्रणाली तथा टिकाउ प्रबंधन प्रथाओं के कार्यान्वयन तथा एकीकरण के माध्यम से होगा।

एमएमटीसी सीएसआर तथा टिकाउ पालिसी के उद्येश्य निम्नलिखित हैं:

(i) अच्छा कारपोरेट नागरिक बनना।
(ii) टिकाउ विकास के लिए सीएसआर का एक प्रमुख बिजनेस प्रोसेस बनाना।
(iii) स्टेकहोल्डर्स की आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरण संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए स्वैच्छिक उपाय करना।
(iv) पर्यावरण उत्तरदायित्वों के प्रति संवेदनशीलता अपनाना तथा अपने कार्यों का तदनुसार संचालन करना।
(v) सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ जुड़ने के लिए अर्थपूर्ण व प्रभावी रणनीतियां विकसित करना।
(vi) जिन समुदायों तथा देशों में हमारा परिचालन कार्य होता है उनमें सामाजिक-आर्थिक अवसरों की पहचान एवं विकास करना ताकि उनमें टिकाउ समृद्धि लाई जा सके।

(vi) एमएमटीसी के कर्मचारियों को सामाजिक व पर्यावरण संबंधी आवश्यकताओं के प्रति जागरूक करना ।

3. <u>विशेष ध्यान देने के क्षेत्र</u>

कंपनीज एक्ट की अनुसूची में सीएसआर प्रोजेक्ट्स अथवा कार्यक्रमों की सूची पालिसी में शामिल होगी। तदनुसार, एमएमटीसी सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण तथा संस्कृति उत्थान व कल्याण के लिए निम्नलिखित कार्यों में योगदान करेगी। इसमें मुख्यत: वे क्षेत्र तथा पिछड़े क्षेत्र शामिल होंगे जहां पर एमएमटीसी अपने परिचाल कार्य चलाती है ।

(i) इंफ्रास्ट्रक्चर विकास विशेषकर शिक्षा, साफ-सफाई तथा पेयजल के लिए।
(ii) बच्चों, महिलाओं, वृद्धों एवं दिव्यांगों में रोजगार/जीवनयापन अवसरों की शिक्षा के प्रोमोशन के लिए वोकेशनल कुशलता का प्रशिक्षण देना।
(ii) प्राइमरी हेल्थकेयर, भूख व कुपोषण का उन्मूलन।
(iv) लैंगिक समानता, महिला सशक्तीकरण।
(v) बच्चों, महिलाओं तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए डे-केयर सेंटर्स व सुविधाएं।
(vi) राष्ट्रीय आपदा के समय सामाजिक-आर्थिक विकास तथा राहत के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष अथवा अन्य कोष में अंशदान करना।
(vii) राष्ट्रीय धरोहर कला एवं संस्कृति की सुरक्षा तथा पारंपरिक कलाओं व हस्तशिल्प को प्रोन्नत करना तथा उनका विकास।
(viii) खेलों को प्रोत्साहन

खेलों को निम्नलिखत रूपों में बढ़ावा दिया जाएगा :-

1. खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए किसी भी स्पोर्टस अथारिटी ऑफ इंडिया इंस्टीटयूट को सपोर्ट देना/गोद लेना
2. राष्ट्रीय स्तर के संभावित खिलाड़ियों को ट्रेनिंग किट्स, यात्रा ग्रांट इत्यादि के लिए वित्तीय सहायता देना ताकि वे राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग ले सकें अथवा उन्हें भाग लेने के योग्य बनाया जा सके।
3. केंद्र/राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित खेल प्रतियोगिता/टूर्नामेंट को समर्थन देना। तथापि, नेशनल स्पोर्टस डेवलेपमेंट फंड (NSDF) में कोई अंशदान नहीं किया जाएगा।

(ix) वृक्षारोपण करना विशेषकर खनन क्षेत्रों में तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण।
(x) पानी, कूड़े-करकट व उर्जा प्रबंधन प्रोजेक्टस

4. **प्लानिंग**

एमएमटीसी सीएसआर नीति केवल अच्छे उद्देश्यों का विवरण मात्र ही नहीं है अपितु यह अभियोज्य योजनाओं को तैयार करने में दिशा निर्देशक(रोडमैप) की भूमिका भी निभाती है।

सीएसआर समिति सीएसआर परियोजनाओं का उत्तरदायित्व लेने के लिए योजनाएं तैयार करेगी तथा निदेशक मंडल के अनुमोदन हेतु अनुलग्नक(i) में दिए गए नमूने में प्रस्तुत करेगी।

(i) अपने सामान्य कार्यकलापों के दौरान एमएमटीसी द्वारा की जा रही किसी भी गतिविधि में सीएसआर कार्यकलापों को शामिल नहीं किया जाएगा।

(ii) किसी भी परियोजना/प्रोग्राम जिससे कर्मचारी अथवा उसके परिवार को लाभ प्राप्त होता हो, उसे सीएसआर कार्यकलाप नहीं माना जाएगा।

(iii) सीएसआर परियोजनाएं/कार्यकलापों के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एमएमटीसी योजनाएं बनाएगी।

(iv) जहां तक संभव हो प्रचालन के एमएमटीसी क्षेत्रों की परिधि में एमएमटीसी परियोजनाओं की पहचान करेगी।

ये परियोजनाएं नीति की धारा (3) में वर्णित एरिया आफ फोकस के अनुसार होंगी तथा दीर्घ, मध्यम अथवा लघु अवधि के रूप में वगीकृत किया जाएगा।

(क) दो वर्ष से कम अवधि वाली परियोजनाएं/कार्यकलाप लघु अवधि परियोजनाएं होंगी।

(ख) मध्यम अवधि परियोजनाओं/कार्यकलापों की अवधि दो से पांच वर्ष की होगी।

(ग) दीर्घावधि परियोजनाओं/कार्यकलापों की अवधि पांच वर्ष से अधिक की होगी।

(v) किसी क्षेत्र में कार्यकलापों की आवश्यकता का निर्धारण या तो एमएमटीसी, स्वतंत्र विशेषज्ञ निकाय, साझेदारी करने वाली एजेंसी अथवा पंचायत जैसी निर्वाचित स्थानीय बॉडी द्वारा किया जाएगा।

(vi) एमएमटीसी सीएसआर कार्यकलापों को करने की योजना बनाएगी जो राष्ट्रीय योजना के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के साथ-साथ मिलेनियम डिवलपमेंट गोल्स को भी पूरी करेंगे।

<u>बजट आबंटन</u>

निदेशक मंडल द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विगत तीन वर्षो में कंपनी द्वारा अर्जित औसत सकल लाभ का न्यूनतम दो प्रतिशत एमएमटीसी द्वारा व्यय किया जाए।

सीएसआर बजट की सुनिश्चितता के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के प्रावधानों के अनुरूप 'औसत सकल लाभ' की गणना की जाएगी।

सीएसआर कार्यकलापों के लिए आबंटित कुल राशि के 20 प्रतिशत अथवा न्यूनतम पांच लाख रूपये की राशि एमएमटीसी द्वारा खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए योगदान किया जाएगा।

यदि एमएमटीसी निर्धारित राशि को व्यय करने में असफल रहती है तो निदेशक मंडल अपनी रिपोर्ट में उक्त राशि को व्यय न करने के कारण स्पष्ट करेगा।

सीएसआर बजट रद्द नहीं होगा। अप्रयुक्त राशि को सीएसआर रिजर्व में अंतरित किया जाएगा तथा इसका उपयोग आगे ले जाए जाने वाले वर्ष से अधिकतम दो वर्षो के बीच किया जाएगा।

<u>सीएसआर समिति का गठन</u>

'सीएसआर समिति' का अभिप्राय कंपनी अधिनियम की धारा 135 में संदर्भित निदेशक मंडल की कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति से है।

निदेशक मंडल की सीएसआर समिति में तीन या अधिक निदेशक होंगे जिनमें से न्यूनतम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होगा।

<u>कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति</u>

(क) एमएमटीसी किए जाने वाले कार्यकलापों की कारपोरेट सामाजिक दायित्व एवं टिकाऊ नीति बनाएगी तथा निदेशक मंडल को इसकी संस्तुति करेगी।

(ख) कार्यकलापों पर किए जाने वाले व्यय की राशि की संस्तुति करेगी।

(ग) समय-समय पर एमएमटीसी की कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति तथा इसकी निरंतरता को मानीटर करेगी।

एमएमटीसी द्वारा किए जा रहे सीएसआर प्रोजेक्टों अथवा प्रोग्रामों अथवा कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए सीएसआर समिति एक पारदर्शी मानीटरिंग प्रक्रिया बनाएगी।

7. <u>कार्यान्वयन</u>

एमएमटीसी की सीएसआर नीति समाज की सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय चिन्ताओं का निवारण करती है।

इस नीति के कार्यान्वयन के लिए उन कार्यकलापों/परियोजनाओं का चयन आवश्यक है जो सामान्यत: सामाजिक एवं पर्यावरणीय संपोषणीयता के समग्र विकास के लिए हैं।

(i) सीएसआर कार्यकलाप करने के लिए एमएमटीसी एक त्रि फलकीय दृष्टिकोण अपनाएगा जिसमें तिगुने लाभ(बाटम लाईन) के मूल्यवर्धन के प्रति एक प्रोमोटर, साझीदार तथा सुविधाएं उपलब्ध करवाने वाले की भूमिका शामिल है।

(क) प्रोमोटर के रूप में एमएमटीसी : स्वयं सीएसआर कार्यकलाप करना

(ख) साझीदार के रूप में एमएमटीसी : स्वैच्छिक निकायों, स्वायत निकायों, सांविधिक एजेंसियों, राज्य एवं केन्द्र सरकार की एजेंसियों के साथ साझेदारी में सस्टेनेबल आधार पर कारपोरेट रणनीतिक दायित्व परियाजनाएं क्रियांवित करना।

(ग) सुविधा उपलब्ध करवाने वाले के रूप में: एमएमटीसी के जहां व्यापारिक कार्यकलाप है उन स्थानों तथा उनके आस पास एवं संपूर्ण देश में सामाजिक रूप से विभिन्न लाभकारी परियाजनाओं में अंशदान करना।

(ii) अर्थपूर्ण सीएसआर परियोजनाओं को करने के लिए स्वैच्छिक निकायों(लाभ के लिए नहीं/एनजीओ) संस्थानों/शैक्षणिक संस्थानों, ट्रस्ट, मिशन, स्व सहायता समूह, सरकारी, अर्ध सरकारी एवं स्वायत संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों का स्थायी सम्मेलन(स्कोप) महिला मंडल/समितियां, सिविल कार्यो के लिए संविदा की गई समितियों, व्यावसायिक परामर्शदायी संगठनों आदि जैसे विशेषज्ञ निकायों के साथ एमएमटीसी संबंध बना सकती है।

(iii) अनुलग्नक(ii) में दिए गए नमूनें में प्रस्ताव आमंत्रित करने के साथ-साथ उक्त विशेषज्ञ एजेंसियों के परिचय पत्रों का भी एमएमटीसी सत्यापन करेगी।

(iv) निदेशक मण्डल द्वारा परियोजना का अनुमोदन किए जाने के पश्चात विधि प्रभाग द्वारा उचित रूप से जांचे(वेटिड) गए मानक करार के अनुसार एमएमटीसी निष्पादन करने वाली/कार्यान्वयन करने वाली प्रत्येक एजेंसी के साथ करार करेगी।

8. **निगरानी (मानीटरिंग)**

सीएसआर परियोजना की मानीटरिंग प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के साथ-साथ की जाएगी और यह आवश्यक है। समय सीमा में, बजटीय व्यय तथा वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति के अनुसार प्रगति अपेक्षित रूप से है, इसके निर्धारण के लिए निरीक्षण आवश्यक है। निरीक्षण(मानीटरिंग) में निम्नलिखित शामिल है :-

i. जिन भौगोलिक क्षेत्रों में परियोजना की जाएगी उसके आधार पर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को निदेश दिए जाएगें कि वह या तो सीधे तौर पर अथवा प्राइवेट/पब्लिक साझेदार के साथ मिलकर परियोजना का निरीक्षण एवं कार्यान्वयन करें।
ii. प्रत्येक परियोजना के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी जो परियोजना के समय पर पूरा होने का निरीक्षण करने के साथ-साथ परियोजना के पूरा होने की स्थिति के संबंध में पाक्षिक आधार पर कारपोरेट कार्यालय को अवगत भी करवाएगा ।
iii. निदेशक मण्डल को त्रैमासिक आधार पर किए जा रहे सीएसआर कार्यकलापों के विषय में अवगत करवाया जाएगा ।
iv. यह सुनिश्चित करने के लिए कि राशि का प्रयोग विवेक पूर्ण रूप से तथा अभीष्ट उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, पहले दी गई राशि के उपयोग से पूर्णत: संतुष्ट हो जाने पर चरणबद्ध रूप से राशि जारी की जाएगी ।
v. संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय प्रोग्रामों के विषय में हितलाभ ग्राहियों से प्रतिपुष्टि (फीडबैक) भी प्राप्त करेंगे।

9. **मूल्यांकन**

यद्यपि परियोजनाओं का निरीक्षण आंतरिक रूप से किया जाता है फिर भी एमएमटीसी द्वारा किए जा रहे सीएसआर कार्यकलापों के ''सामाजिक प्रभाव (सोशल इम्पैक्ट)'' का आकलन करने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा

सोशल आडिट/प्रभाव आकलन (इम्पैक्ट असेसमैंट) किया जाता है। उक्त सोशल आडिट/प्रभाव आकलन समवर्ती एवं अंतिम होंगे।

प्रभाव आकलन अध्ययन के लिए नियुक्त की गई एजेंसी को विशेषकर निम्नलिखित विषयों पर की जाने वाली परियोजना के प्रभाव के आकलन हेतु आवश्यक रूप से असेसमैंट टूल डिजाईन करने होंगे :-

क. लक्ष्य समूह (टारगेट ग्रुप)
ख. सैक्टर ऑफ इटंरवेंशन
ग. वैल्यू चेन

यदि परिणाम नियोजित परिणाम से इतर/कम हैं तो आकलनकर्ता को किसी प्रकार के आवश्यक परिवर्तन/सुधार की संस्तुति अवश्य करनी होगी तथा चयनित कार्यान्वयन एजेंसी के कार्य तथा उनके द्वारा निष्पादित कार्यों में सुधार के क्षेत्रों को भी इंगित करना होगा।

10. रिपोर्टिंग

टिकाऊ विकास (सस्टेनेबल डिवलपमैंट) के प्रति निगम की वचनबद्धता के संकेत के रूप में इसके द्वारा की गई आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय पहल का स्टेकहोल्डर्स को प्रकटन करने की प्रथा रिपोर्टिंग है। आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय क्षेत्रों में निगम के निष्पादन का पब्लिक प्रकटन तथा रिपोर्टिंग इनमें की गई पहल से कम महत्वपूर्ण नहीं है।

i. एमएमटीसी द्वारा वार्षिक रिपोर्ट तथा/अथवा सीएसआर पहल पर अपनी एकल (स्टैंड अलोन) रिर्पोट में कंपनी सीएसआर की समग्र उपलब्धियों को चिन्हांकित किया जाएगा।
ii. एमएमटीसी अपने होम पेज (www.mmtclimited.gov.in) पर अपनी सीएसआर गतिविधियों को प्रदर्शित करेगी ।
iii. कर्मचारियों को सीएसआर पर सूचना इंट्रानेट एवं न्यूजलेटर द्वारा प्रचारित की जाएगी तथा बाहरी स्टेकहोल्डर्स को इंटरनेट, प्रिंट तथा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे संचार के विभिन्न चैनलों द्वारा प्रचारित की जाएगी ।
iv. इन-हाऊस पत्रिका/ब्रोशर में सीएसआर पर लेख नियमित रूप से प्रकाशित किए जाएगें।
v. कंपनी की वार्षिक आम बैठक में प्रस्तुत विवरणों के साथ वर्ष के दौरान की गई पहल एवं कारपोरेट सामाजिक दायित्व एवं संपोषणीयता (सस्टेनेबिलिटी) पर विकसित एवं कार्यान्वित नीति के विषय में निदेशक मंडल द्वारा विस्तृत रिपोर्ट दी जाएगी ।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर सीएसआर समिति के अध्यक्ष एवं एमएमटीसी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के हस्ताक्षर होंगे।

सीएसआर कार्यकलाप पर वार्षिक रिपोर्ट नीचे दिए गए फार्मेट में होगी :-

क) कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षेप में रूपरेखा जिसमें प्रस्तावित परियोजना या कार्यक्रम की समीक्षा और सीएसआर नीति और परियोजना या कार्यक्रम का वेब-लिंक का संदर्भ शामिल हो ।
ख) सीएसआर समिति का संघटन
ग) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत शुद्ध लाभ

घ) निर्धारित सीएसआर व्यय (उपरोक्त मद 3 में दी गई राशि का दो प्रतिशत)

ङ) वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर पर खर्च का विवरण

च) खर्च नहीं की गई राशि, यदि कोई है ।

छ) वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का माध्यम अनुलग्नक (iii) के नमूने के अनुसार दिखाया जाना चाहिए।

ज) यदि एमएमटीसी पिछले तीन वर्षों के दौरान औसत शुद्ध लाभ दो प्रतिशत या उनका कुछ भाग खर्च करने में असफल रहता है तो एमएमटीसी को इस रिपोर्ट में राशि खर्च नहीं करने के कारण का उल्लेख करना चाहिए ।

झ) इस आशय का दायित्व विवरण कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और मानीटरिंग एमएमटीसी की नीति और उद्देश्यों का अनुपालन है ।

सामान्य

(i) नीति के किसी प्रावधान के संबंध में और इसमें शामिल नहीं किए विषयों के संबंध में कोई संदेह होने पर कारपोरेट कार्यालय के सीएसआर को इसका हवाला देना चाहिए । ऐसे सभी मामलों में सीएमडी का निर्णय और उनकी व्याख्या अंतिम होंगे ।

(ii) कोई एक या सभी सीएसआर नीति के प्रावधान सरकार द्वारा समय समय पर इस विषय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सुधार/संशोधन के अनुरूप होंगे ।

अनुलग्नक (i)

सीएसआर योजना का नमूना

क्र.सं.	सीएसआर परियोजना	हस्तक्षेप का क्षेत्र/ सेक्टर	भौगोलिक क्षेत्र	आबंटित राशि	कार्यान्वयन एजेंसी	परियोजना की अवधि	अनुमानित परिणाम/प्रभाव
1.	ओडिशा में राजकीय उच्च विद्यालयों में साफ-सफाई और पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराना (स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत)	प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का प्रोमोशन, साफ-सफाई, स्वच्छता एवं स्वच्छ पीने के पानी की सुविधाएं, शिक्षा विकास।	जोडा/बड़बिल जिला, ओडिशा	30 लाख	अंतिम रूप दिया जाना है (निविदा के माध्यम से जो निर्णय लिया जायेगा)	1 वर्ष	साक्षरता का विकास, विशेष रूप से लड़कियों के लिए विद्यालय ।
2.	प्राइमरी/सेकेंडरी विद्यालयों में हैंडपंप लगाना।	प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का प्रोमोशन, साफ-सफाई, स्वच्छता एवं स्वच्छ पीने के पानी की सुविधाएं, शिक्षा विकास।	इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में फूलपुर फाफामाऊ सोरन में	2 लाख	अंतिम रूप दिया जाना है (निविदा के माध्यम से जो निर्णय लिया जायेगा)	1 वर्ष	ग्रामीण स्कूलों में स्वच्छ पीने के पानी की उपलब्धता।
3.	हैंडपंप लगाना	प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का प्रोमोशन, साफ-सफाई, स्वच्छता एवं स्वच्छ पीने के पानी की सुविधाएं, शिक्षा विकास।	घोसी जिला, उत्तरप्रदेश	1 लाख	अंतिम रूप दिया जाना है (निविदा के माध्यम से जो निर्णय लिया जायेगा)	1 वर्ष	पिछड़े क्षेत्रों में स्वच्छ पीने के पानी की उपलब्धता।

अनुलग्नक (ii)

विशेष एजेंसियों से आमंत्रित प्रस्तावों के लिए नमूना

एनजीओ का परिचय	**दस्तावेज**
1. कार्यक्षेत्र	1. पंजीकरण प्रमाणपत्र
2. परिचय पत्र	2. ट्रस्ट डीड
3. पिछला संबंधित अनुभव	3. ज्ञापन
4. क्या पहले ऐसी परियोजनाओं पर कार्य किया है	4. 80 जी प्रमाणपत्र(आयकर छूट)
5. ऐसी परियोजनाओं का प्रभाव/लाभ	5. पैन कार्ड (सेवा कर प्रमाणपत्र)
6. अन्य कंपनियों के साथ सहयोग	6. पिछले तीन वर्षों का अंकेक्षित खाता
प्रस्ताव	**प्रभाव**
1. आंकलन की आवश्यकता	1. परियोजना का अनुमानित प्रभाव आर्थिक/पर्यावरणीय/ सामाजिक
2. योजना	2. मौद्रिक (रिसाइकिल सामान की बिक्री/उपयोग के द्वारा
क) हस्तक्षेप का क्षेत्र (एमएमटीसी इसमें किस प्रकार/कहां भाग ले सकती है)	3. अमूर्त (इंटेजिंबल) जीवन की गुणवत्ता में सुधार
ख) परियोजना की अवधि	लोगों की संख्या जिन्हें लाभ मिला
ग) लागत अनुमान - प्रत्यक्ष व्यय और खर्चे	गरीबी रेखा के नीचे/औसत/समाज का हिस्सा
घ)	क) महिलाये/लड़कियां
3.	ख) वृद्ध

अनुलग्नक (iii)

बोर्ड रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि को दिखाने के लिए नमूना

क. एमएमटीसी की सीएसआर नीति की संक्षेप में रूपरेखा जिसमें प्रस्तावित परियोजना या कार्यक्रम की समीक्षा और सीएसआर नीति और परियोजना या कार्यक्रम का वेब-लिंक का संदर्भ शामिल हो ।

ख. सीएसआर समिति का संघटन

ग. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत शुद्ध लाभ

घ. निर्धारित सीएसआर व्यय (उपरोक्त मद 3 में दी गई राशि का दो प्रतिशत)

ङ. वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर पर खर्च का विवरण

च. खर्च नहीं की गई राशि, यदि कोई है ।

1	2	3	4	5	6	7	8
क्र.सं.	सीएसआर परियोजना या पहचाने गए कार्यकलाप	क्षेत्र जिसमें परियोजना लागू की गई है	परियोजना या कार्यक्रम(1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (ii) राज्य या जिला जहां परियोजना या कार्यक्रम चलाये जाने हैं	लागत की राशि (बजट) परियोजना या कार्यक्रम-वार	परियोजना या कार्यक्रम पर खर्च राशि उप शीर्षक(1) परियोजना या कार्यक्रम (2) पर प्रत्यक्ष या उपरिव्यय	रिपोर्टिंग अवधि तक सामूहिक खर्च	खर्च की गई राशि : प्रत्यक्ष या एजेंसी के माध्यम से

- यदि एमएमटीसी पिछले वित्त वर्ष के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत या इसके कुछ भाग खर्च करने में असफल रहता है तो वह अपनी बोर्ड रिर्पोट में खर्च नही करने के कारणों का खुलासा करेंगे ।
- इस आशय के साथ सीएसआर का दायित्व विवरण कि सीएसआर नीति का मानीटरिंग और कार्यान्वयन कंपनी की सीएसआर नीतियों और उद्देश्यों के अनुरूप है ।

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	सीएसआर कमेटी के अध्यक्ष